फर्द अहकाम

गोपाल बनाम कानूराम

...यालय

...ख्या 212/2024

...ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/7/24	वकील वादी ने वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील वादी को सुना गया काबिल वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत विधि प्रावधान से लिखवाया गया पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो से काम हो बाद तामील हाजिर प्रस्तुत हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : ....
निर्णय दिनांक : 19.07.2024

1. गोपाल लाल
2. जगदीश प्रसाद
3. रामनारायण
4. सीताराम पुत्रान भूराराम, समस्त जाति जाट, नि. रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तह. सांगानेर, जि. जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र लालाराम, जाति बलाई, नि. 190 विश्वेसरिया नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जि. जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण की ओर पेश वाद का विवरण इस प्रकार है किराजस्व ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तह. सांगानेर, जि. जयपुर। पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित हाल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 के खाता ख. 36 के ख.न. 1 रकबा 0.2000 है. ख.न. 2 रकबा 1. 4300 है. चाही 2 ख.न. 5 रकबा 0.7100 है. बारानी 2 ख.न. 7 रकबा 1.8500 है., चाही 2 कुल किता 4 कुल रकबा 4.1900 है., एवं खाता संख्या 49 के ख.न. 28 रकबा 0.1200 है., ख.न. 291/6 रकबा 0.6600 है., ख.न. 294/9 रकबा 0.0525 है., ख.न 3 रकबा 0.0100 गै.मु. चाह, ख.न. 4 रकबा 0.2600 है., ख.न. 6 रकबा 1.1555 है.. ख.न. 8 रकबा 0.6012 है., ख.न. 9 रकबा 0.1055 है., कुल किता 8 कुल रकबा 2. 9647 के वादीगण स. 1 लगायत 4 हिस्से 1/4, 1/4 के काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण बिना किसी बाधा के करते आ रहे है। वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि मे से खसरा नम्बर 2 रकबा 1.4300 है., ख.न. 7 रकबा 1.8500 है., ख.न. 8 रकबा 0.6012 है. के वादीगण एवं इसके सींव जोड दक्षिण दिशा में लगवा खसरा नम्बर 19 रकबा 0.8200 है., ख.न. 20 रकबा 0.1800 है., ख.न. 380/27 रकबा 2.2000 है., की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकोर्ड हाल जमाबन्दी मे दर्ज है।. वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि विवादित है जिसे वाद पत्र के अन्य मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 से 9, 28, 291/6, 294/9, के दक्षिण दिशा में सींव जोड लगवा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 19, 20, 380/27 की तरफ सींव पर मिट्टी की कच्ची मेड निर्मित है जिसके बावत पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण 1 की नियत में बेईमानी आ रही हैं। प्रतिवादीगण भू–माफिया व असामाजिक तत्वों से [illegible] वाले व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, तथा जिन्होंने एक नाजायज गिरोह ब[illegible] रखा [illegible] जिसकी आड में व उसके आधार पर ऐनकेन प्रकारेण वादीगण [illegible] 2, 7, 8 की दक्षिणी दिशा सींव स्थित मिट्टी की मेड को [illegible] की फसल को नष्ट करके वादीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करके उसकी भूमि में मि[illegible]र कब्जा करने की धमकी दी जा रही हैं, तथा उस पर नींव खोदकर निर्माण करने पर आमादा हैं। दिनांक 14.07.2024 को सांय 6 से 7 बजे के आस–पास आकर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके साथ अन्य चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पांच व्यक्ति वादीगण की खातेदरी व कब्जे काश्तशुदा उक्त आराजीयात की दक्षिणी भाग
की भूमि पर लगभग 15 फुट अन्दर घुस कर पत्थर, बजरी व मकान बनाने की सामाग्री
डालने की धमकी दी ओर कहा की उक्त भूमि पर 15 फुट अन्दर उत्तर में घुस कर दक्षिण
दिशा मे पूर्व से पश्चिम ख.न. 2, 7, 8, मे जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करेगें तथा वादी
संख्या 2 जगदीश प्रसाद के वादी ने मना करने पर वह आग बबूला हो गये और बेदखल
कर कब्जा करने की धमकी दी जिसका उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है।
वादीगण अपने कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की उक्त विवादित भूमि व दक्षिणी सींव पर
मिट्टी की मेड डोल व बाजरे की फसल की सुरक्षा करने व उपयोग उपभोग करने का
कानूनन विधिक अधिकार है तथा वह प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी प्रकार का
अवैध अतिक्रमण करने मेड को ताडने व बाजरे की फसल को नष्ट करने व किसी प्रकार
की नींव खोदने व निर्माण करने, से कानूनन रोकने के वादीगण विधिक अधिकारी है तथा
इसी प्रकार की माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वादीगण विधिक
अधिकारी भी हैं। प्रतिवादी पैसे व ताकत के बल यदि वादीगण को अपने कब्जे काश्त व
खातेदारी की उक्त वादग्रस्थ भूमि व उसकी दक्षिणी सीमा को हडपने व उस पर किसी भी
प्रकार का निर्माण कार्य करने एवं वर्षों पुरानी सीमा चिन्हों को समाप्त कर कब्जा करने में
कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपने वैधानिक अधिकारो का हनन व अपूर्वतनीय
क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में दावा डिकी होने की सूरत मे नही हो सकेगी।
वादीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त कृषि भूमि को सुरक्षित रखने व
उसका शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने का वैधानिक अधिकार है वादीगण को कानूनन
अधिकार है कि वह अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की सुरक्षा करे व प्रतिवादीगण
को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाये कि प्रतिवादी वादीगण के कब्जे काश्त व
खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2, 7, 8 पर व उसकी दक्षिणी सींव सीमा पर किसी
प्रकार का निर्माण कार्य न स्वयं करे, न नींव खोदे, मेड व मिट्टी की डोल को नष्ट नही
करें व बाजरे की फसल को नष्ट न करें, न कोई गड्ढू /पिल्लर गाडे, जबरिया प्रवेश नही
करें, तथा न मकान निर्माण की सामाग्री बजरी पत्थर आदी डाले, न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व
परिवारजन से करवाये तथा वादीगण की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नही
करें, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें। वादीगण
वादअधीन भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जबकि वाद अधीन भूमि से
प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है। विधि के अनुसार वादीगण
को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
प्रतिबंधित कराये कि वादअधीन भूमि के किसी भी हिस्से पर नाजायज कब्जा नही करें, ना
ही वादअधीन भूमि के पुराने सीमा चिन्ह नष्ट नहीं करे, ना भूमि पर गड्डा खोदे, वादीगण
के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा,
रुकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने तथा बाहुबल के आधार पर नाजायज वादीगण
की भूमि पर कब्जा ना करने, तथा उपयोग–उपभोग करने से रोकने से निषेद्ध रहें, तथा
किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने एवं गड्डू/पिल्लर नही गाडे तथा अपने–अपने
परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा मौका की
यथास्थिति बनायीं रखें। वादीगण की विवादित भूमि खसरा नम्बर 2, 7, 8, की व उसके
लगवा दक्षिण दिशा मे प्रतिवादी की खसरा नम्बर 19, 20, 380/27 की भूमि प्रतिवादी
संख्या 1 के नाम राजस्व रेकोर्ड हाल जमाबन्दी मे दर्ज है। भूमि का वादीगण की उपस्थिति
में वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि का सक्षम अधिकारी तहसीलदार सांगानेर द्वारा
सीमाज्ञान करवाकर सीमाचिन्ह नही करवा कर पत्थरगडी नही करवा लेते है तब तक वादो
की बाहुलता को रोकने के लिये उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने व
उक्त भूमि की किस्म कृषि से अकृषि मे परिवर्तन न ... प्रतिवादीगण को जरिये
स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवाने के वादीगण कानू... अधि... हैं। चूँकि प्रतिवादीगण
अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नही ... वादीगण को अपने खातेदारी
अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय ... दावा प्रस्तुत करने हेतु
मजबूर होना पडा है और चूँकि विवादित भूमि के वादी... रेकोर्डेड काबिज खातेदार
काश्तकार है एंव अपनी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहें है इसलिये

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में कानूनन अतिआवश्यक है। बिनायदावा वाद कारण अन्तिम रूप से दिनाँक 17.07.2024 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी जगदीश को उसकी उक्त विवादग्रस्थ कृषि भूमि पर पुनः अप्रार्थी संख्या 1 व उसके साथ अन्य चार पांच बदमाश किस्म के व्यक्ति आऐ ओर बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, नाजायज कब्जा करने, खातेदरी व कब्जे काश्तशुदा उक्त आराजीयात की दक्षिण भाग की भूमि पर लगभग 15 फुट अन्दर घुस कर पत्थर, बजरी व मकान बनाने की सामाग्री डालने की धमकी दी ओर कहा की उक्त भूमि पर 15 फुट अन्दर उत्तर में घुस कर दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम ख.न. 2, 7, 8 मे जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करेगें भूमि को खुर्द–बुर्द करने की एलानियाँ धमकी दी तथा उन्होंने उक्त भूमि को ज्ञान जी अग्रवाल को बेचान कर उसमे कागजो मे आवसीय कालोनी नारायण विहार ओ फेज 5 के नाम की कालोनी विकसित कर प्लाट काटकर उसमे पट्टे जारी कर दिये एवं उनकी होना बताकर बेदखल करने व खुर्द–बुर्द व निर्माण करने की धमकी दी जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है जिस कारण यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का कानूनन प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिकी किया जावें :–

(अ)– स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद नंबर 1 व 2 में उल्लेखित ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तह. सांगानेर, जि. जयपुर। पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सागानेर जिला जयपुर स्थित हाल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 के खाता ख. 36 के ख.न. 1 रकबा 0.2000 है. ख.न. 2 रकबा 1.4300 है. चाही 2 ख.न. 5 रकबा 0.7100 है. बारानी 2 ख.न. 7 रकबा 1.8500 है., चाही 2 कुल किता 4 कुल रकबा 4.1900 है., एवं खाता संख्या 49 के ख.न. 28 रकबा 0.1200 है., ख.न. 291/6 रकबा 0.6600 है., ख.न. 294/9 रकबा 0.0525 है., ख.न 3 रकबा 0.0100 गै. मु. चाह, ख.न. 4 रकबा 0.2600 है., ख.न. 6 रकबा 1.1555 है., ख.न. 8 रकबा 0.6012 है., ख.न. 9 रकबा 0.1055 है.. कुल किता 8 कुल रकबा 2.9647 के वादीगण स. 1 लगायत 4 हिस्से 1/4, 1/4 के काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण बिना किसी बाधा के करते आ रहे है। पर व उसकी दक्षिणी सीव जोड सीमा पर बजरी, पत्थर व मकान निर्माण की सामाग्री न डाले तथा नाजायज कब्जा नही करें, ना ही वादअधीन भूमि में पुराना सीमा चिन्ह नष्ट नही करे, व डोल को नही तोडे, गड्डू/पिल्लर नही गाडे, वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरिया प्रवेश नही करे, वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने तथा बाहुबल के आधार पर नाजायज वादीगण की भूमि पर कब्जा ना करने, कच्चा पक्का निर्माण नही करें तथा वादीगण को उपयोग–उपभोग करने से रोकने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा मौका की यथास्थिति बनायीं रखें, तथा जब तक वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि उक्त खसरा नम्बरान व प्रतिवादीगण की भूमि उक्त खसरा नम्बर के लगवा दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 19, 20, 380/27 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकोर्ड हाल जमाबन्दी मे दर्ज है। का सीमाज्ञान करवाकर अपनी सीमा पर पत्थरगडी नही करवा लेते तब तक उक्त खसरा नम्बरान पर व दोनो की बीच की सीमा पर भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वादीगण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को [illegible] अंत में निवेदन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] की जारी फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद नंबर 1 व 2 में उल्लेखित ग्राम [illegible]पुरा उर्फ रामपुरा, तह. सांगानेर, जि. जयपुर। पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–[illegible] क्षेत्र सांगानेर तहसील सागानेर जिला जयपुर स्थित हाल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 के खाता ख. 36 के ख.न. 1 रकबा 0.2000 है. ख.न. 2 रकबा 1.4300 है. [illegible] 2 ख.न. 5 रकबा 0.7100 है. बारानी 2 ख.न. 7 रकबा 1.8500 है., चाही 2 कुल किता 4 कुल रकबा 4.1900 है., एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खाता संख्या 49 के ख.न. 28 रकबा 0.1200 है., ख.न. 291/6 रकबा 0.6600 है., ख.न. 294/9 रकबा 0.0525 है., ख.न 3 रकबा 0.0100 गै. मु. चाह, ख.न. 4 रकबा 0.2600 है., ख.न. 6 रकबा 1.1555 है., ख.न. 8 रकबा 0.6012 है., ख.न. 9 रकबा 0.1055 है.. कुल किता 8 कुल रकबा 2.9647 के वादीगण स. 1 लगायत 4 हिस्से 1/4, 1/4 के काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग-उपभोग वादीगण बिना किसी बाधा के करते आ रहे है। पर व उसकी दक्षिणी सीव जोड सीमा पर बजरी, पत्थर व मकान निर्माण की सामाग्री न डाले तथा नाजायज कब्जा नही करें, ना ही वादअधीन भूमि में पुराना सीमा चिन्ह नष्ट नही करे, व डोल को नही तोडे, गड्डू/पिल्लर नही गाडे, वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरिया प्रवेश नही करे, वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने तथा बाहुबल के आधार पर नाजायज वादीगण की भूमि पर कब्जा ना करने, कच्चा पक्का निर्माण नही करें तथा वादीगण को उपयोग-उपभोग करने से रोकने से निषेद्व रहें तथा अपने-अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा मौका की यथास्थिति बनायीं रखें, तथा जब तक वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि उक्त खसरा नम्बरान व प्रतिवादीगण की भूमि उक्त खसरा नम्बर के लगवा दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 19, 20, 380/27 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकोर्ड हाल जमाबन्दी मे दर्ज है। का सीमाज्ञान करवाकर अपनी सीमा पर पत्थरगडी नही करवा लेते तब तक उक्त खसरा नम्बरान पर व दोनो की बीच की सीमा पर भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

बहस वादीगण अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। वादीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र एक माह की अवधि में तहसीलदार सांगानेर के यहॉ लगाए। सीमाज्ञान होने के बाद वादीगण की सीज्ञा का निर्धारण होने पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की जमीन में दखलन्दाजी नही करे। तब तक प्रतिवादीगण को वादीगण की पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सागांनेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बरान् 1 लगायत 9, 28, 291/6, 294/9 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बरान् 19, 20, 380/27 की सीमाओं एवं सीमाओं के मध्य की वर्तमान स्थिति एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या :........../2024
डिक्री जारी दिनांक : 19.07.2024

1. गोपाल लाल
2. जगदीश प्रसाद
3. रामनारायण
4. सीताराम पुत्रान भूराराम, समस्त जाति जाट, नि. रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तह. सांगानेर, जि. जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र लालाराम, जाति बलाई, नि. 190 विश्वेसरिया नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जि. जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र एक माह की अवधि में तहसीलदार सांगानेर के यहॉ लगाए। सीमाज्ञान होने के बाद वादीगण की सीज्ञा का निर्धारण होने पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की जमीन में दखलन्दाजी नही करे। तब तक प्रतिवादीगण को वादीगण की पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सागानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बरान् 1 लगायत 9, 28, 291/6, 294/9 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बरान् 19, 20, 380/27 की सीमाओं एवं सीमाओं के मध्य की वर्तमान स्थिति एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.07.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ......
ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीके का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested